



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29092020-222102
CG-DL-E-29092020-222102

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 271]

नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 29, 2020/आश्विन 7, 1942

No. 271]

NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 29, 2020/ASVINA 7, 1942

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 29 सितम्बर, 2020

सं. 20/2015-2020

विषय:—पूर्व-पोतलदान निरीक्षण अभिकरणों (पीएसआईए) की वैधता का विस्तार।

फा. सं. 01/53/8/एम20/पीएसआईए-2/आईसी.—विदेश व्यापार नीति (2015-2020) के पैरा 2.04 के साथ पठित पैरा 1.03 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महानिदेशक, विदेश व्यापार प्रक्रिया पुस्तक 2015-20 के पैरा 2.55(घ) में यथा प्रदत्त प्रावधान में छूट देते हुए निम्नानुसार अधिसूचित करते हैं:—

विदेश व्यापार नीति (2015-2020) के परिशिष्ट एवं आयात निर्यात प्रपत्र (ए एंड एनएफ) के परिशिष्ट 2छ में शामिल पूर्व-पोतलदान निरीक्षण अभिकरणों (पीएसआईए) की मान्यता की वैधता, जो 30.09.2020 को तीन वर्षों की अपनी मूल अवधि या अपनी विस्तारित अवधि पूरा करने जा रही है, को 31.12.2020 तक अथवा पीएसआईए की नई सूची अधिसूचित किए जाने तक, जो भी पहले हो, बढ़ाया जाता है।

इस सार्वजनिक सूचना का प्रभाव:—

ए एंड एनएफ के परिशिष्ट 2छ में यथा सूचीबद्ध सभी पूर्व-पोतलदान निरीक्षण अभिकरणों (पीएसआईए) की वैधता को 31.12.2020 तक अथवा पीएसआईए की नई सूची अधिसूचित किए जाने तक, जो भी पहले हो, बढ़ाया जाता है।

अमित यादव, महानिदेशक, विदेश व्यापार
एवं पदेन अपर सचिव,

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**(Department of Commerce)****(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)****PUBLIC NOTICE**

New Delhi, the 29th September, 2020

No. 20/2015-2020**Subject: Extension of validity of Pre-Shipment Inspection Agencies (PSIAs)**

F. No. 01/53/8/AM20/PSIA-2/IC.—In exercise of powers conferred under paragraph 1.03 read with paragraph 2.04 of the Foreign Trade Policy (2015-20), the Director General of Foreign Trade in relaxation of the provision as in Para 2.55 (d) of the Handbook of Procedure, 2015-20, notifies as under:

The validity of recognition of the Pre-Shipment Inspection Agencies (PSIAs) included in Appendix 2G of Appendices and Aayat Niryat Forms (A&ANF) of Foreign Trade Policy (2015-20) which are completing their original tenure of three years or their extended tenure as on 30.9.2020 is extended up to 31.12.2020 or until the new list of PSIAs is notified, whichever is earlier.

Effect of this Public Notice: Validity of all the Pre-Shipment Inspection Agencies (PSIAs) as listed in the Appendix 2G of A&ANF, is extended up to 31.12.2020 or until the new list of PSIAs is notified, whichever is earlier.

AMIT YADAV, Director General of Foreign Trade